

UPBD010020852026

न्यायालय-सेशन न्यायाधीश, बांदा।जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-942 / 2026

आजम खान उर्फ रहेजा पुत्र अय्यूब, निवासी-मोहल्ला बिजली खेड़ा,
शहर बांदा थाना-को0 नगर, तहसील व जिला-बांदा।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

अपराध संख्या-135 / 2026

धारा-319(2), 338, 336(3), 340(2), 318(4) बी.एन.एस.

थाना-कोतवाली नगर, जिला-बांदा।**दिनांक 12.06.2026**

- वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त आजम खान उर्फ रहेजा की ओर से मु0अ0सं0-135 / 2026 धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0, थाना-कोतवाली नगर, जिला-बांदा में जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र अफजल खान के शपथपत्र से समर्थित है।
- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामनरायन द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह ग्राम हटेटी पुरवा, मजरा कहला, तहसील व जिला बांदा का मूल निवासी है। उसके वर्तमान खतौनी खाता सं0-453 के गाटा सं0-232 / 1, 882, 883, 872 / 1, 862, 866ख, 250, 251, 248, 831, 246मि, 227, 226, 220, 221, 235 आदि 35 कित्ता कुल रकबा 10.6960हे0 का 1/4 भाग यानि रकबा 2.6740 हे0 सम्पूर्ण विक्रय फर्जी करा लिया है। उसकी जमीन का फर्जी बैनामा भू-माफिया आफरीन खान पत्नी दानिश सईद पुत्री श्री अयूब खान निवासी मुहल्ला नजदीक फारेस्ट ऑफिस सिविल लाइन बांदा द्वारा फर्जी बैनामा कराया गया है। जबकि उसकी फोटो व फर्जी आधार कार्ड दिखाकर फर्जी व्यक्ति को लेकर बैनामा रजिस्ट्री दिनांक 20.11.2025 को करायी गयी है, रजिस्ट्री फर्जी हुई उसमें उसका नाम रामनरायन पुत्र बिन्दा निषाद के नाम से फर्जी बैनामा कराया गया है। वह कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, फर्जी निशान अंगूठा लगवा करके रजिस्ट्री करायी गयी है, फर्जी फोटो लगाकर बैनामा कराया गया है। यह फर्जी बैनामा उसके हिस्से की सम्पूर्ण जमीन का करा लिया गया है। रजिस्ट्री के गवाह भी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं, इस फर्जी बैनामे में चकबन्दी विभाग के लेखपाल व अधिकारी की मिली भगत से फर्जी बैनामा करवाया गया है, इस तरह चकबन्दी लेखपाल गरीब किसानों की जमीन को

चकबन्दी कर्मचारियों/रजिस्ट्रार ऑफिस की भूमिका संदिग्ध है, अधिकारियों द्वारा बैनामा फर्जी जमीन हड़पने में मदद की जा रही है, वह गरीब मजदूर व्यक्ति है, जाति का केवट व्यक्ति है, उसको न्याय दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसके पूर्व भी अन्य कई बैनामों मौजा हटेटी पुरवा, तहसील व जिला बांदा में कराये गये हैं तथा वह अपना हस्ताक्षर बनाता है। प्रार्थना की गयी है कि उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्रेता, विक्रेता, गवाहान व चकबन्दी विभाग के संलिप्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध धारा-420, 66(1) की एफ.आई.आर. व मुकदमा कायम किया जाये एवं फर्जी बैनामा रजिस्ट्री जो हुई है वह निरस्त किये जाने की कृपा करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये है कि वह उपरोक्त वाद में निर्दोष है एवं कोई जुर्म नहीं किया है। उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। थाना को0 नगर पुलिस ने उसके विरोधियों के साथ साजिश करके उपरोक्त वाद में झूठा फंसा दिया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथित जमीन का वह विक्रेता, क्रेता व रजिस्ट्री का गवाह व लेखक नहीं है। रपट नं0 74 दिनांक 09.04.2026 के अनुसार दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आना कहा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से उसके द्वारा कोई कूटरचित दस्तावेज व अभिलेख तैयार करना, मुद्रांकित करना नहीं कहा गया है। विवेचक ने बिना किसी साक्ष्य के उसके विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ाने के लिये वाद उपरोक्त में झूठा फंसा दिया है। प्रश्नगत रजिस्टर्ड बैनामा की क्रेता का भाई होने मात्र से सह-अभियुक्तगण के झूठे व काल्पनिक बयानों के आधार पर उसको झूठा फंसाया गया है। उसकी सगी बहन श्रीमती आफरीन खान ने मौजा हटेटीपुरवा, तहसील व जिला बांदा स्थित दो अलग-अलग कृषि भूमि व उसने भी दो अलग-अलग कृषि भूमि दलाल राजेश चक्रवर्ती के माध्यम से दो अलग-अलग विक्रेताओं से जिनको उसकी बहन व वह जानते पहचानते नहीं थे। दलाल राजेश के कहने व बताने पर उसे व उसकी बहन ने सद्भावना पूर्वक विश्वास करके उनको कृषि भूमि का तयशुदा प्रतिफल व निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी अदा कर जरिये रजिस्टर्ड बैनामा क्रय किया था। कथित दलाल व उक्त कृषि भूमि के कथित विक्रेतागण ठग निकले, उन्होंने ही छल व कूटरचना कर उसे व उसकी बहन श्रीमती आफरीन से अवैधानिक लाभ प्राप्त किया है। विवेचक ने उनके साथ साजिश कर राजनैतिक दबाव में उसे व उसकी बहन कथित क्रेता को उपरोक्त वाद में झूठा फंसा दिया है। उसके द्वारा कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किये जाने व छल करने का कोई आरोप नहीं है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सत्र न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है। वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत व

निजी बंधपत्र प्रस्तुत करने का तैयार है। प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा ताफैसला मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त होने योग्य कहा गया है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा आदेशार्थ पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त आजम खान उर्फ रहेजा पर सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा रामनरायन के कुल रकबा 2.6740 हे0 को छल व धोखाधड़ी करके वादी मुकदमा के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी फोटो व आधार कार्ड के जरिये फर्जी बैनामा सह-अभियुक्ता अपनी बहन आफरीन खान के नाम कराने का गंभीर आरोप हैं। केस डायरी में संलग्न वादी मुकदमा रामनरायन के बयानों से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादी मुकदमा के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी बैनामा अपनी बहन के नाम करा लिया गया है। केस डायरी में संलग्न सह-अभियुक्ता के पति के बयानों के अनुसार अभियुक्त आजम खान का कुछ भूमाफिया लोगों से संपर्क होना उल्लिखित है तथा केस डायरी में यह भी उल्लिखित है कि अभियुक्त की बहन आफरीन खान के द्वारा बैनामा से पहले अभियुक्त के खाते में पैसा भेजे जाने तथा उसके पश्चात अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्त राजेश चक्रवर्ती के खाते में पैसा भेजने तथा उक्त राजेश चक्रवर्ती द्वारा अन्य अभियुक्तगणों को जरिये खाते व कैश भेजा जाना उल्लिखित है। उपरोक्त कथनों से मामले में अभियुक्त की सक्रिय भूमिका दर्शित होती है। मामला गम्भीर प्रकृति का है तथा मामले में विवेचना अभी प्रचलित है तथा साक्ष्य आना शेष है। थाने से अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में आख्या मंगायी गयी, जिसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त तीन मुकदमे पंजीकृत होना उल्लिखित है। अभियुक्त की ओर से जो अन्य तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, वह साक्ष्य एवं विचारण का विषय है, जिसका कोई लाभ अभियुक्त को इस स्तर पर नहीं दिया जा सकता है।

7. अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त आजम खान उर्फ रहेजा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 12.06.2026

(अल्पना)
सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं.- UP05748)